10 4.14

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल जिला ग्वालियर

प्रकरण क्रं0 ए/2011 अपील A-1314-III/2011

श्री एम० के० कुशवाह, अभि० द्वारा आज दि 16.8.11 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

(M.K. Kushwah) Ad.

1— रामेश्वर प्रसाद पुत्र श्री केशरी चन्द्र वैश्य आयु —64 साल निवासी— न्यू बस स्टेण्ड करैरा

2— आनंद कुमार पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद वैश्य आयु 36 साल निवासी— न्यू बस स्टेण्ड करैर .... अपीलांट

बनाम

कलैक्टर आफ स्टॉप्स एवं जिला पंजीयक जिला शिवपुरी (मध्यप्रदेश)

.... रेस्पोडेन्ट

<u>अपील अन्तर्गत धारा ~~33~~ 47 भारतीय स्टाम्प अधिनियम बनाराजी आदेश दिनांक 10/8/2011 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर जो अपील क्रमांक 426/2010—2011 अपील व उनवान रामेश्वर प्रसाद आदि बनाम कलेक्टर एण्ड स्टाम्प एवं जिला पंजीयक मे पारित किया जाकर अपील प्रचलन योग्य न होने से निरस्त की गयी है।</u>

माननीय महोदय,

अपीलान्ट की अपील सेवा मे निम्न प्रकार प्रस्तुत है :—

1- यह कि अपील माननीय न्यायालय के समक्ष धारा 33 भारतीय स्टाम्प अधिनियम बनाराजी आदेश दिनांक 10/8/2011 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर जो अपील क्रमांक 426/2010—2011 अपील व उनवान रामेश्वर प्रसाद आदि बनाम कलेक्टर एण्ड स्टाम्प एवं जिला पंजीयक मे पारित किया जाकर अपील प्रचलन योग्य न होने से निरस्त की गयी है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 1314–तीन / 2011 जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10–4–2014	यह अपील रामेश्वर प्रसाद पुत्र केशरी चन्द्र वैश्य एवं आनंद कुमार पुत्र रामेश्वर प्रसाद वैश्व निवासी न्यू बस स्टेण्ड करैरा की ओर से अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 426 / 2010–11 / अपील में पारित आदेश दिनांक 10–8–2011 के विरूद्ध इस न्यायालय में श्री एम0के0 कुशवाह द्वारा दिनांक 16–8–11 को प्रस्तुत की गई थी। अपील प्रस्तुत करने के दिनांक से आज दिनांक तक लगभग दो तीन वर्ष तक न तो पक्षकार इस न्यायालय में उपस्थित हुये हैं और न ही उनके अभिभाषक किसी पेशी पर उपस्थित हुये हैं। इस न्यायालय द्वारा कई बार अपीलार्थी को सूचना पत्र जारी किया गया। दिनांक 3–3–2014 को पेशी दिनांक 10–4–2014 को उपस्थित होने हेतु अपीलार्थीगण को सूचना पत्र जारी किया गया। उक्त सूचना पत्र तहसीलदार करैरा की ओर से इस टीप के साथ वापस प्राप्त हुआ कि रामेश्वर प्रसार एवं आनन्द कुमार करैरा में निवास नहीं करते हैं। जबकि अपीलार्थी द्वारा अपील मेमो, अभिभाषक पत्र एवं अधीनस्थ न्यायालय में करैरा का पता अंकित किया है और उसी पते पर तामील जारी करने पर निवास नहीं करना अंकित किया गया है। 2/ लगभग तीन वर्षों तक न्यायालय में प्रकरण के	

संबंध में पक्षकार एवं उनके अभिभाषक द्वारा जानकारी नहीं लेना एवं स्वयं के निवास का पता गलत लेख कर अपील प्रस्तुत करने से ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी को प्रकरण के संचालन में कोई रूचि नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील इसी स्तर पर निरस्त की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य